

-: आदेश :-

उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-19(3) के अन्तर्गत

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1948 (निरसित) की धारा-8 सी- (3ए) के अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित वस्तुओं के सम्बन्ध में कमिशनर व्यापार कर यह आदेश दे सकते हैं कि उन वस्तुओं के सम्व्यवहारों के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी फार्म जारी करने के पहले नकद जमानत ली जाये।

उपर्युक्त सम्बन्ध में निर्गत विज्ञप्ति संख्या -क0नि0-2-1751/ ग्यारह-9 (185)/95 उ0प्र0 अधि0-15-48 आदेश -(16)-2004 दिनांक 2 जुलाई, 2004 द्वारा रिफाइनड ऑयल को भी अधिसूचित किया गया तथा रिफाइनड ऑयल के थोक मूल्य रुपये- 35,000/- से रुपये- 45,000/- प्रति टन तक होने की सूचना तथा तत्समय रिफाइनड ऑयल पर देय कर की दर 5 प्रतिशत के आधार पर आदेश संख्या: विधि-1-(1)- जमानत-धारा-8सी (3ए)-(2004-2005)- 219/ व्यापार कर दिनांक 2 मई, 2005 द्वारा भारत के बाहर से या भारत के अन्दर लेकिन प्रान्त के बाहर से रिफाइनड ऑयल का आयात करने वाले व्यापारियों के लिए, उनके द्वारा आयात के लिए घोषणा पत्र की मांग करने पर, प्रति टन रुपये- 2000/- की दर से नकद जमानत जमा करने के बाद ही आयात घोषणा पत्र जारी करने के आदेश दिये गये।

उक्त आदेश उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा- 19(3) तथा धारा 81(2) (क) के प्राविधानों के अनुसार अभी भी प्रभावी है। सर्वश्री इमामी बायोटेक लिमिटेड, कामाक्षा, वाराणसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या 367/09 दायर किया गया तथा कहा कि रिफाइनड आयल के परिवहन में आयात घोषणापत्र जारी करते समय प्रति टन रू0 2000/- की दर से मांगी जाने वाली जमानत अत्यधिक है तथा कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ने बाजार भाव का आंकलन न करते हुए जमानत मांगने के आदेश दिये हैं। अतः माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका में यह निर्णय दिया कि याची के प्रार्थनापत्र का निस्तारण आदेश की प्राप्ति के एक माह में कर दिया जायें। याचिकाकर्ता द्वारा अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 17-2-2009 के साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 5-2-2009 तथा उस निर्णय में संदर्भित अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 15-12-2008 की प्रति उपलब्ध करायी है।

विभिन्न व्यापारियों के प्राप्त प्रत्यावेदनों में यह सूचित किया गया है कि रिफाइनड ऑयल के बाजार भाव में विगत माहों में गिरावट आयी है तथा अनुरोध किया गया कि बाजार भाव में आई गिरावट को दृष्टिगत रखते हुये रिफाइनड ऑयल के सम्बन्ध में नकद जमानत की धनराशि संशोधित की जाये। इस सम्बन्ध में रिफाइनड ऑयल का बाजार भाव विगत माहों में रुपये-45,500/- से रुपये-33,200/- प्रति मैट्रिक टन तक होने की सूचना मिली है तथा वर्तमान में रिफाइनड ऑयल पर कर की दर 4 प्रतिशत है।

अतः उपर्युक्त संदर्भित आदेश संख्या- 219 दिनांक 2 मई, 2005 को संशोधित करते हुये उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-19(3) के अन्तर्गत यह आदेश दिया जाता है कि रिफाइनड ऑयल के लिए प्रति टन रुपये- 1600/- की दर से नकद जमानत जमा कराने के बाद ही आयात घोषणा पत्र /

प्रपत्र-38 जारी किये जायेगे। मात्रा यदि पूरे-पूरे टनों में अंकित न होकर कुछ अंश में हो तो उस अंश पर भी समानुपातिक रूप से नकद जमानत अपेक्षित होगी।

यह आदेश दिनांक 01-04-2009 से प्रभावी होगा। उपर्युक्त अंकित आदेश संख्या- 219 दिनांक 02 मई, 2005 के अन्य यथा आवश्यक प्राविधान वैध व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये यथावत् रहेगें।

ह0-

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त

- (1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)।
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर, अधिकरण, उ०प्र०।
- (5) विशेष कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र० मुख्यालय लखनऊ।
- (6) समस्त डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर अपील/कारपोरेट सर्किल वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (8) अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
- (10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (11) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए०जी० डिप्ट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (14) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (15) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर, (सर्वोच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
- (16) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर(उ०न्या०कार्य०) वाणिज्य कर लखनऊ / वाणिज्य कर, इलाहाबाद।
- (17) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में।
- (18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियों में।
- (19) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (20) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो०, 185/293 मीना बाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।
- (21) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 12 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (22) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्य नगर, सगीत टाकिज के पीछे, कानपुर।
- (23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (24) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ।
- (25) मार्चेंट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (26) एसोसियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो, 4/180 विशाल खण्ड पी०वी०-17 गोमती नगर, लखनऊ।
- (27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 1 ए ला प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ।
- (28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्डो ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (29) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4 साइट संख्या 3, मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
- (30) कन्फेडरेशन आफ इन्डियन इण्डो एसोसिएसन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- (31) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०) के माध्यम से।
- (32) प्रदेश प्रमुख, लघु उद्योग भारतीय, 10 इन्जीनियर्स काम्प्लेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (33) शिव कुमार अरोडा, एडवोकेट, महासचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो० जमुना बिहार, एस० एस० कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।
- (34) श्री मदन मोहन भारतीय एडवोकेट, सदस्य, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ०प्र० शासन 26/103 बिरहना रोड कानपुर।

- (35) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ, डीन, फैकल्टी आफ ला, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
- (36) प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (37) डा० छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्दिरा नगर, लखनऊ ।
- (38) श्री बी० एन० राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी०टैक्स बार एसो० 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा, वाराणसी ।
- (39) श्री अशोक धवन, सी के -24/1 कुँज गली, चौक, वाराणसी ।
- (40) श्री घनश्याम दास गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 239, मनस्थन्लीय, सी०बी०गुप्ता कालोनी शामली, मुजफ्फर नगर ।
- (41) श्री पी० एस० जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (42) श्री ब्रित चावला महासचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ०प्र० टूक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (43) श्री आर० डी० गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
- (44) श्री संतोष कुमार पनामा, प्रदेश उपाध्यक्ष, भा० ज० पा०निवासी 60 चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (45) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (46) इन्डियन इण्डोएसो०, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मुजफ्फर नगर ।
- (47) संयोजक, टैक्सेशियों एकेडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू०पी०(रजि०)52, नगर निगम कम्पाउण्ड, कैसरबाग रोड, मेरठ ।
- (48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस, आगरा ।
- (49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को० प० स्टेट लि० 51-बी उद्योग नगर, कानपुर ।
- (50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० 3-एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
- (51) श्री दिनेश अरोरा उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शक्कर पट्टी, कानपुर ।
- (52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
- (54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-29, विधायक निवास, दारुलशाफा, लखनऊ ।
- (55) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- (56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री, आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउण्ड मेरठ ।
- (57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, डा० बी०एन०रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (58) अध्यक्ष, आई० आई०ए, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड फेस 2, गोमती नगर, लखनऊ-260010
- (59) वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउण्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।
- (60) श्री वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल, कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116, सेवासमिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उ०प्र० टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०) ।
- (63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली नं०-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बंदायू, यू०पी० ।
- (65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाऊस, आगरा, -15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर०डी०सी०-51, राजनगर, गाजियाबाद ।

ह०-

(वाई०एस०सिंह)

ज्वाइन्ट कमिशनर(विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

